

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2023/04(आ.)/पं०रा०

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,  
अपर सचिव

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य  
जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान,  
गया, सारण एवं भागलपुर।  
मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान,  
पटना

पटना, दिनांक 28/04/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0001-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद से कुल ₹31,55,000.00 (इकतीस लाख पचपन हजार रुपये) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु इकाईवार कुल ₹31,55,000.00 (इकतीस लाख पचपन हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग (4 से 8)
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	500000.00	300000.00	100000.00	12000.00	12000.00	924000.00
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	350000.00	210000.00	35000.00	12000.00	12000.00	619000.00
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	500000.00	300000.00	50000.00	12000.00	12000.00	874000.00
4	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	प्रभारी प्राचार्य, भागलपुर	420000.00	252000.00	42000.00	12000.00	12000.00	738000.00
कुल योग			1770000.00	1062000.00	227000.00	48000.00	48000.00	3155000.00

इकतीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी प्राचार्य होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे।
4. इस आवंटित राशि से बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु नियमानुसार निकासी की जा सकती है।
5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवीं तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।




12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2023 के पृष्ठ संख्या ~~44~~ /टि० पर दिनांक 22/04/26 को प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।


विश्वासभाजत

  
(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2023 / 04(अ.ि.) पं०रा० पटना, दिनांक 28/04/26


प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2023 / 04(अ.ि.) पं०रा० पटना, दिनांक 28/04/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)

अपर सचिव



